न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी तारा चन्द मीणा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 24/2020(रसद)
पंजीयन दिनांक 09.12.2020
G.C.M.S. NO. :- 2020/00393

राज्य सरकार जरिए थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली, चित्तौड़गढ़

-प्रार्थी

बनाम

1-श्री उदयराम पिता डालचन्द प्रजापत निवासी सेमलपुरा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

2-श्री पाबूदान रेबारी पिता गमेर लाल रेबारी निवासी बरन की ढ़ाणी थाना देलवाड़ा, जिला राजसमन्द

-विपक्षीगण

न्यायालय जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

आवेदन अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थितिः- 1-श्री हितेश जोशी, प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांक 10.08.2021

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 10.09.2020 को श्री अमित सिंह, पुलिस उप अधीक्षक, को श्री पवन कुमार हैड कानि. 43 डीएसटी से हाईवे रोड़ सरहद चित्तौड़ी खेड़ा मेन रोड़ के पश्चिम में शराब के ठेके के बगल में श्री उदयराम पिता डालचन्द प्रजापत निवासी सेमलपुरा की बिना नाम की होटल पर अवैध रूप से इण्डियन ऑयल डीपो से डीजल, पेट्रोल भरकर ले जाने वाले टैंकरों व ट्रकों से अवैध रूप से डीजल-पेट्रोल निकाल कर खरीद फरोक्त का धन्धा करने की जरिए फोन सूचना मिलने पर मौके पर पहुंच जांच की जहां दो व्यक्ति मय प्लास्टिक की केन एवं किमा व नली को पकडे हुए टैंकर नम्बर RJ 22 GA 7159 में से तेल निकाल लोहे व प्लास्टिक के ड्रम में डालते हुए मिले जिन्हें डिटेन किया। डिटेन किए व्यक्तियों से नाम पता पूछा तो प्रथम व्यक्ति ने स्वयं का नाम श्री उदयराम पिता डालचन्द प्रजापत निवासी सेमलपुरा हाल बिना नाम की होटल का मालिक व दूसरे ने अपना नाम श्री पाबूदान पिता गमेर लाल रेबारी निवासी बरन की ढाणी थाना देलवाड़ा जिला राजसमन्द हो टैंकर का चालक होना बताया।

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

प्रकरण संख्या 24/2020 (रसद)
राज्य सरकार जरिए थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली, चित्तौड़गढ़ बनाम श्री उदयराम पिता डालचन्द प्रजापत निवासी सेमलपुरा वगैरा

श्री उदयराम प्रजापत ने यह भी बताया कि मैंने शम्भू लाल रावल निवासी चित्तौड़ीखेडा से उक्त बिना नाम की होटल किराये पर ले रखी है जिसे मैं चलाता हूँ। बिना नाम की होटल के बाहर होटल के दक्षिण की तरफ खाली जमीन में खड़े टैंकर के नजदीक पहूंच कर देखा तो होटल के पीछे दो लोहे के ड्रम 220 लीटर व एक प्लास्टिक का ड्रम 200 लीटर व प्लास्टिक की नली व एक प्लास्टिक का किमा व एक 20 लीटर का खाली जरीकेन प्लास्टिक का रखे होने से जाप्ता के सहयोग से ड्रमों के ढक्कन खोल कर देखा गया तो ड्रम के अन्दर तरल पदार्थ पेट्रोल व डीजल से भरे होना पाये गये। उक्त दोनों डिटेन व्यक्तियों से यथास्थिति में रहने के निर्देश दिये जाकर उक्त वाहन व ड्रमों के आस-पास डीजल व पेट्रोल के वैध दस्तावेज संबंधी कागजात चैक किये तो टैंकर नम्बर RJ 22 GA 7159 में से आई कार्ड इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड से जारी शुदा चालक श्री पाबूदान रेबारी निवासी बरन की ढाणी का ड्राईवर लाईसेन्स एवं टैंकर के कागजात मिले। उक्त स्थान पर पडे ड्रमों में भरे पेट्रोल मय डीजल तरल पदार्थ का नाप किया तो प्रथम लोहे के ड्रम के अन्दर 65 लीटर पेट्रोल भरा हो बरंग आसमानी व दूसरे ड्रम के अन्दर 170 लीटर डीजल भरा हो बरंग आसमानी, तीसरे प्लास्टिक के ड्रम के अन्दर 20 लीटर डीजल भरा हो बरंग गहरा नीला है। इस प्रकार कुल 65 लीटर पेट्रोल एवं 190 लीटर डीजल अवैध भरा होना पाया गया। श्री उदयराम ने पूछताछ में बताया की उक्त डीजल व पेट्रोल को मेरी बिना नाम की होटल पर आने वाले टैंकर नम्बर RJ 22 GA 7159 के चालक से मिलकर टैंकर से पेट्रोल व डीजल चोरी कर ग्राहकों को बेचता हूँ। उक्त टैंकर में करीब 10 हजार लीटर डीजल एवं करीब 10 हजार लीटर पेट्रोल होना श्री पाबूदान रेबारी ने बताते हुए कहा कि उक्त टैंकर में से मैंने 65 लीटर पेट्रोल एवं 170 लीटर डीजल टैंकर से निकाला है जिसे मैंने उदयराम प्रजापत के सहयोग से बिना नाम की होटल के पास खाली जमीन पर रखे ड्रमों में भर दिया है। ईण्डियन ऑयल डिपो से डीजल, पेट्रोल भरकर ले जाने वाले टैंकरों के चालक हमें उक्त डीजल व पेट्रोल देते हैं। उदयराम प्रजापत से उक्त डीजल व पेट्रोल रखने, खरीदने, बेचने बाबत् लाईसेंस मांगा तो किसी प्रकार का कोई लाईसेंस नहीं होना बताया। भरे हुए लोहे व प्लास्टिक के ड्रमों में से 750-750 एम. एल. की कांच की बोतलों में पेट्रोल व डीजल निकाला जाकर सील चिट कर नमुना सेम्पल पेट्रोल को कमशः ए1 तथा शेष बचे पेट्रोल को उसी ड्रम में भर कर मार्क ए अंकित किया तथा डीजल के प्रथम ड्रम में भरे डीजल में से नमुना सेम्पल बी1 तथा शेष बचे डीजल को उसी ड्रम में भरकर मार्क बी अंकित किया एवं दूसरे ड्रम में से भरे डीजल में से नमुना सेम्पल को कमशः सी1 व शेष बचे डीजल को उसी ड्रम में भरकर मार्क सी अंकित किया। टैंकर में भरे डीजल व पेट्रोल के अलग-अलग भाग से सेम्पल लेकर पेट्रोल का नमुना सेम्पल को मार्क डी1 व डीजल के नमुना सेम्पल को मार्क ई1 व शेष बचे पेट्रोल-डीजल को टैंकर के उन्ही

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिला कलेक्टर
चित्तौडगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

खण्डों में रहने दिया जाकर निकासी के मुंह पर क्रमशः मार्क डी व ई अंकित किया। मौके पर मिले प्लास्टिक की नली व एक प्लास्टिक का किमा एवं एक 20 लीटर प्लास्टिक की खाली जरीकेन बरंग सफेद को जरिये फर्द जब्त कर चिट चस्पा किये। इस प्रकार श्री उदयराम पिता डालचन्द प्रजापत निवासी सेमलपुरा हाल बिना नाम की होटल व श्री पाबूदान पिता गमेर लाल रेबारी निवासी बरन की ढाणी जिला राजसमन्द द्वारा टैंकर नम्बर RJ 22 GA 7159 में से अवैध रूप से कुल 190 लीटर डीजल व 65 लीटर पेट्रोल चोरी से निकाल कर खरीदना व बेचना पाया जाने से जुर्म धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम व 379 भा. द. सं. का अपराध पाया जाने से टैंकर नम्बर RJ 22 GA 7159 तथा कुल 190 लीटर डीजल व 65 लीटर पेट्रोल मय अन्य सामग्री को जब्त कर जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण हेतु धारा 6 ए के तहत यह आवेदन प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। विपक्षीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से विपक्षीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। अतः बहस प्रकरण पैरोकार सरकार सुनी गई।

प्रवर्तन अधिकारी चित्तौड़गढ़, पैरोकार सरकार ने आवेदन मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विपक्षीगण द्वारा इण्डियन ऑयल डीपो से डीजल, पेट्रोल भरकर ले जाने वाले टैंकरों व ट्रकों से अवैध रूप से डीजल-पेट्रोल चोरी से निकाल कर खरीद फरोक्त का धन्धा करना तथा पेट्रोल-डीजल भरने तथा खाली करने के उपकरणों को अवैध तरीके से रखने का किया गया कृत्य पेट्रोल-डीजल की अवैध रूप से कालाबाजारी करने से संबंधित होने एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से जब्तशुदा डीजल-पेट्रोल व अन्य उपकरणों को राजसात करने का आदेश फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण में जब्तशुदा टैंकर संख्या RJ 22 GA 7159 एवं उसमें भरे हुए पेट्रोल-डीजल का स्वामित्व प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर श्रीमति सुगना देवी पत्नि मीठलाल जरिये पावर ऑफ अटोर्नी होल्डर श्री बाबूलाल पिता उमाराम चौधरी निवासी बाली जिला पाली का प्रमाणित पाया जाने से इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 139/2020 (रे.वि.) में दिनांक 27.10.2020 को पारित निर्णयानुसार उसके वैध स्वामी को 30.00 लाख (अक्षरे तीस लाख रूपये) रूपये के जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत करने पर रिलीज करने के आदेश दिये गए हैं।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विपक्षीगण श्री उदयराम पिता डालचन्द प्रजापत निवासी सेमलपुरा हाल बिना नाम की होटल एवं श्री पाबूदान पिता गमेर लाल रेबारी निवासी बरन की ढाणी जिला राजसमन्द, हाईवे रोड सरहद चित्तौड़ीखेड़ा मेन रोड के पश्चिम में शराब के ठेके के बगल में स्थित श्री उदयराम की बिना नाम की होटल पर खड़े टैंकर संख्या

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

प्रकरण संख्या 24/2020 (रसद)
राज्य सरकार जरिए थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली, चित्तौड़गढ़ बनाम श्री उदयराम पिता झलचन्द प्रजापत निवासी सेमलपुरा वगैरा

RJ 22 GA 7159 में से अवैध रूप से पेट्रोल-डीजल निकाल कर होटल के पीछे पडे ड्रमों में भरते हुए मौके पर पाए गए। मौके पर उक्त होटल के पीछे दो लोहे व एक प्लास्टिक के ड्रमों में कुल 190 लीटर डीजल व 65 लीटर पेट्रोल, एक प्लास्टिक की नली, एक प्लास्टिक का किमा व एक प्लास्टिक की 20 लीटर की खाली जरीकेन आदि सामग्री पाए गए तथा उक्त स्थान पर विपक्षीगण के पास कोई अनुज्ञापत्र व लाईसेन्स नहीं होना पाया गया।

इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं साक्ष्य के मध्यनजर विपक्षीगण द्वारा अपने प्रतिष्ठान/होटल पर इण्डियन ऑयल डीपो से डीजल, पेट्रोल भरकर ले जाने वाले टैंकरों व ट्रकों से अवैध रूप से डीजल-पेट्रोल चोरी से निकाल कर खरीद फरोख्त का धन्धा करना तथा पेट्रोल-डीजल भरने तथा खाली करने के उपकरणों को अवैध तरीके से अपने कब्जे में रखना तथा उनकी कालाबाजारी करना प्रमाणित/सिद्ध पाया जाने से जब्तशुदा 190 लीटर डीजल, 65 लीटर पेट्रोल मय अन्य उपकरण व सामग्री राजसात किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार करते हुए दिनांक 10.09.2020 को जब्तशुदा कुल 190 लीटर डीजल व 65 लीटर पेट्रोल मय दो लोहे व एक प्लास्टिक के ड्रम, प्लास्टिक की नली, प्लास्टिक का एक किमा व 20 लीटर की प्लास्टिक की खाली जरीकेन व अन्य सामग्री को राजसात करने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ उक्त जब्तशुदा कुल 190 लीटर डीजल व 65 लीटर पेट्रोल मय अन्य उपकरणों/सामग्री आदि को थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली, चित्तौड़गढ़ से प्राप्त कर, नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय राजकोष में जमा करा, पालना से अवगत करावें।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official